

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in)



पत्र संख्या- 341/2024

**प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़**

दिनांक- 04.11.2024

**हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 04.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

**01.थाना मुबारकपुर: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।**

अवगत कराना है कि आज दिनांक 03.11.2024 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सरकारी ट्यूबेल के पास बहद ग्राम खौरा से एक अभियुक्त संजय राम पुत्र हरिकेश ग्राम सोनपार थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 21.26 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 441/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**आपराधिक इतिहास:-**

- 1-मु0अ0सं0 304/2006 धारा 457,380,411 भादवि थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- 2-मु0अ0सं0 756/2009 धारा 302,201,364 भादवि थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- 3-मु0अ0सं0 441/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



## 02.थाना सिधारी: अवैध गांजा के साथ एक शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 04.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति दुर्गा जायसवाल पुत्र स्व0 श्रीचन्द निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष को अवैध गाजा वजन 740 ग्राम के साथ समय करीब 12.30 बजे बिहरोजपुर क्रासिंग बहदग्राम बिहरोजपुर से हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 430/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

### आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0- 151/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0- 200/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0- 181/14 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 4.मु0अ0सं0-82/05 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 5.मु0अ0सं0- 342/03 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 6.मु0अ0सं0- 315/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 7.मु0अ0सं0- 379/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 8.मु0अ0सं0- 15/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़



## “मिशन शक्ति फेज-5”

दिनांक:-04.11.2024

मिशन शक्ति के विशेष अभियान ( फेज-05 ) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को किया जागरूक ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के दृष्टिगत:-

आज दिनांक 04.11.2024 को जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पॉक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गयी व महिला हिंसा से संबंधित अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वीमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टॉप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मिशन-शक्ति-अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर जागरूकता के क्रम में महिलाओं/छात्राओं को जागरूक किया गया।



# आजमगढ़ पुलिस



मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं/छात्राओं को विभिन्न हेल्प लाइन नम्बरों के विषय में जागरूक किया गया ।



[@azamgarhpolic](#) [azamgarhpolic](#) [Azamgarh police](#)